

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2017

राजस्व विविध सं. 02/2017 पुरुषोत्तम बनाम: गोपाल वगैरह
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश-9, नियम-4 व धारा 151 सीपीसी

दिनांक 30.05.2017

यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान "न्याय आपके द्वार" वर्ष 2017 के दौरान केम्प-अटल सेवा केन्द्र ऐरनपुरा में बरोज आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। हमने, लोक अदालत की भावना के तहत सुलभ न्याय दिलाने हेतु पक्षकारों की दलील को सुना, साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध तमाम रेकॉर्ड इत्यादि का अवलोकन व परीक्षण किया। फलस्वरूप प्रश्नगत मामले में वर्णित वाद-विषयक स्थिति एवं साक्ष्य-दस्तावेजों पर मनन व विचारण करने के पश्चात् हमारी विधिक राय है कि संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 08/2006 पुरुषोत्तम बनाम: गोपाल वगैरा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955 जो गत् दिनांक 26.09.2012 को वादी व उनके अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, को न्यायहित में पुनः बरामद कर रेकॉर्ड पर लिया जाना उचित समझते हैं। अतः प्रार्थी का कथित प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संबंधित मूल राजस्व वाद सं. 08/2006 पुरुषोत्तम बनाम: गोपाल वगैरा अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट,1955 जो गत् दिनांक 26.09.2012 को वादी व उनके अधिवक्ता की अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया था, को न्यायहित में पुनः बरामद कर रेकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश पारित किया जाता है।

यह आदेश राजस्व लोक अदालत केम्प-अटल सेवा केन्द्र ऐरनपुरा में बरोज आज दिनांक 30.05.2017 को सुनाया गया। यह पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम हो व संबंधित मूल वाद पत्रावली के साथ नत्थी हो।



उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)